

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/सा०चि०पदा०-97/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० सुधाशु कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, लखीसराय का दिनांक-01.06.2022 से 20.07.2022 तक के प्रभार रहित अवधि को निम्नांकित रूप में विनियमित किया जाता है :-

(i)	दिनांक-01.06.2022 से 30.06.2022 तक	- पदस्थापन की प्रतीक्षा अर्वाधे के रूप में (स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना)
(ii)	दिनांक-01.07.2022 से 20.07.2022 तक	- असाधारण अवकाश के रूप में (बिहार सेवा संहिता के नियम 236 के आलोक में)

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाटक)


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/सा०चि०पदा०-97/2025- 702(2) पटना, दिनांक 8/4/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लखीसराय/अधीक्षक, सदर अस्पताल, लखीसराय/कोषागार पदाधिकारी, लखीसराय/ डा० सुधाशु कुमार, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।